राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 769/2017
कल्पना त्रिवेदी

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, जिला बांसवाड़ा।
4. श्री महेन्द्र सिंह समादिया, प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, वजवाना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 31.07.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री दलवीर सिंह, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण पुराना है। अतः पत्रावली पर उपस्थित एप्लिकेशन एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 27.03.2017 (अनुलग्नक–3) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वसूली योग्य राशि 23143/– रुपये जमा कराने के निर्देश दिये गये थे। अपीलार्थी की ओर से मुख्य रूप से यह आपत्ति रही है कि अपीलार्थी के विरूद्ध वसुली किस मद में की गई है, उसके संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी अपीलार्थी को नहीं दी गई है और न ही अपीलार्थी को वसुली का आदेश पारित किये जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यामिक बासवाड़ा के विभागीय अंकेक्षण दल के पत्रांक जिशिअ/मा/बांस/लेखा–1/16–17/185 दिं. 17.02.2017 के द्वारा राउमावि बजवाना का विभागीय अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.10.2006 से 31.03.2016 तक की ऑडीट रिपोर्ट भिजवाई गई है, जिसमें पैरा सं. 3,4,8 की वसूली से सम्बन्धित पैराज है। जिनकी वसूली तत्काल करने, एवं वसूली इन्द्राज इनकी

सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से कर फोटो प्रति पालना प्रतिवेदन संलग्न करने हेतु निर्देशित किया गया है। ऑडीट रिपोर्ट के भाग द्वितीय ब में अग्रिम राशि समायोजन शेष है। जिसमें अपीलार्थी लिपिक ग्रेड–। के नाम से रू. 23143.00 समायोजन की जावें। उक्त राशि बिल भूगतान के नाम से विवरण अंकन किया गया है। प्रधानाचार्य राउमावि बजवाना ने अपने पत्र क्रमांक 228 दि. 27.03.17 के द्वारा अपीलार्थी व.लि. वर्तमान कार्यरत स्थान राउमावि नूतन बांसवाडा को पत्र द्वारा ऑडीट रिर्पोट के अनुच्छेद 4 में दर्शायी गई राशि रू. 23143.00 वसूल करने पत्र द्वारा सूचित किया गया था। जो विभागीय प्रक्रिया के अन्तर्गत आता है। ऑडीट वसूली वेतन में अधिक भूगतान को होने पर अथवा मकान ऋण, वाहन ऋण, की होने पर सेवाभिलेख में इन्द्राज किया जाता है। उक्त वसूली इस प्रकार की नही थी। इसमें किसी प्रकार की बदनियती अथवा दुर्भावना नहीं है।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
5. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपने जवाब में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलार्थी से किस संबंध में वसुली के आदेश जारी किये गये हैं। यह भी प्रकट नहीं किया है कि वसूली की कार्यवाही से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया हो। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2013(1) WLC (Raj.) 423 सागर मल जैन बनाम राजस्थायन राज्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें याची से वसुली की कार्यवाही याची को बिना सुनवाई का अवसर दिये किये जाना उचित नहीं माना है।
6. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी से वसुली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाये एवं पूर्ण अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात ही वसूली के संबंध में न्यायसंगत आदेश पारित किया जाये। तब तक वसुली की कार्यवाही नहीं की जाये।
7. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)